राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2022/2012/जोधपुर.

मैसर्स बोहरा एन्टरप्राईजेज, हर्क कुटीर, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर जोधपुर.
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   घट–प्रथम, वृत–बी, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस. पी. व्यास, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17/03/2015

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स)–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **अपीलीय अधिकारी** कहा गया है) के अपील संख्या 5/आरवेट/जेयूबी/11–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.7.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–बी, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23/24(1)/24(4) के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.2.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिक्री विवरण प्रपत्रों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.02.2011 को पारित करते हुए कुल मांग रूपये 86,407/– का आरोपण किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि टंकण त्रुटि से जॉब वर्क की राशि को 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल में लिख दिया गया। अतः उक्त त्रुटि को संशोधित किया जावे। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि लिपिकीय भूल से जॉब वर्क की राशि रूपये 5,03,852/— को 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल की सूची में अंकित कर दिया गया। जबकि आलौच्य अवधि में व्यवहारी का कुल कर दायित्व रूपये 1,18,625/— ही बनता है, जिसमें से रूपये 1,00,498/— का आई.टी.सी. के समायोजन के पश्चात शुद्ध करदेयता रूपये 18,127/— बनती है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का समुचित अवलोकन किये बिना अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है, जबकि उन्हें प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिये था। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिक्री विवरण प्रपत्रों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि का आदेश पारित किया गया है। यदि अपीलार्थी के स्तर पर विवरण पत्रों में कोई त्रुटि हुई है तो वह कर निर्धारण से पूर्व नियम 19(6) के तहत संशोधित विवरण प्रपत्र प्रस्तुत कर सुधारी जा सकती है। व्यवहारी द्वारा उक्त प्रावधानों का उपयोग करते हुए कोई संशोधित रिटर्न पेश नहीं किये गये हैं, ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरण पत्रों के अनुसार मांग कायम किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बिक्री विवरण प्रपत्रों में जॉब वर्क को पृथक से नहीं दर्शाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बिक्री विवरण प्रपत्रों को यथावत स्वीकार करते हुए तद्नुसार कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित हो जाने के पश्चात अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अवगत करवाया गया कि टंकण की त्रुटि से जॉब वर्क की राशि को कर योग्य माल में अंकित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलीय अधिकारी को प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक जांच उपरान्त पुनः आदेश पारित किये हुए हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिये था। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

लगातार..... 3

7. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर आलौच्य अवधि का विधिसम्मत कर निर्धारण आदेश पुनः पारित किया जावे। साथ ही अपीलार्थी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति से एक माह की अवधि में आवश्यक साक्ष्य एवं बहियात सहित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

8. निर्णय सुनाया गया।

(मनोहर पुरी)
सदस्य